प्रेस विज्ञप्ति
17.07.2026

‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के अंतर्गत बहु-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) मादक पदार्थ की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में मध्य प्रदेश के इंदौर एवं मंदसौर स्थित विभिन्न स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने अपराध शाखा, इंदौर द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 8 एवं 22 के अंतर्गत विभिन्न आरोपियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की।

जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रमुख आरोपियों में से एक अपने ज्ञात पतों से फरार था। उसे खोजने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर व्यापक प्रयास किए तथा हैदराबाद, बीकानेर एवं इंदौर में कई दिनों तक उसकी गतिविधियों का पता लगाने हेतु उन्नत विश्लेषणात्मक एवं अन्वेषण तकनीकों का उपयोग किया। निरंतर निगरानी एवं खुफिया सूचनाओं के विकास के उपरांत आरोपी को इंदौर स्थित उसके एक ऐसे पते से चिन्हित किया गया, जिसकी पूर्व में जानकारी नहीं थी, जिसके फलस्वरूप तलाशी की कार्रवाई सफलतापूर्वक की जा सकी।

तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य तथा आरोपियों की परिसंपत्तियों एवं वित्तीय मामलों से संबंधित विवरण प्राप्त हुए। अनेक दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। इनके आधार पर अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) की पहचान, धन के प्रवाह (Money Trail) का पता लगाने तथा अनुसूचित अपराध से अर्जित धन के शोधन की सीमा का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया जाएगा।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान आरोपियों में से एक के रिश्तेदार के नाम पर एक बैंक लॉकर का भी पता चला। उक्त बैंक लॉकर पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई पृथक रूप से की जा रही है।

तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से कथित अपराध से जुड़े वित्तीय नेटवर्क, परिसंपत्तियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की संभावना है। ईडी इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका तथा अपराध से अर्जित आय से संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।

मामले में आगे की जांच जारी है।